

DIGITAL
LIFE



क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/सुकमा/2022

दिनांक 31.10.2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सुकमा वनमंडल,
सुकमा (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur, Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Sukma Forest Division under Sukma District of Chhattisgarh State, Area- 3.857 ha. ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/155722/2022

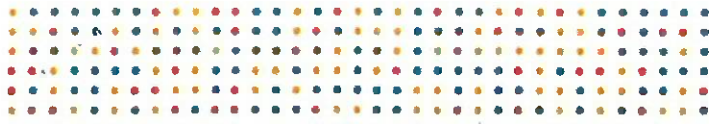
संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-940A/1868 रायपुर दिनांक 05.08.2022

—0—

विषयांतर्गत जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नियमानुसार आवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) कार्यालय को किया गया, जिस पर उनके द्वारा प्रस्ताव पंजीकृत कर प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/OFC/155722/2022 किया जाकर ऑनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमांड ड्राफ्ट के साथ वनमंडल कार्यालय जमा करने के निर्देश उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिया गया है।

संदर्भित पत्र के परिपालन में शासन द्वारा निर्धारित 21 बिन्दुओं चेक लिस्ट में प्रस्ताव ऑनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति सहित तैयार कर, पंजीयन शुल्क रुपये 6000/- (डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 227429 दिनांक 21.10.2022) एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 29000/- ((डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 227430 दिनांक 21.10.2022) कुल रुपये 35000/- संलग्न कर वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु 21 बिन्दुओं की बिन्दुवार विवरण एवं संक्षिप्त टीप निम्नानुसार है :-

- बिन्दु क्रमांक - 1 आवेदक विभाग का मांग पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 1)
- जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 3.857 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। (मांग पत्र संलग्न)
- बिन्दु क्रमांक - 2 प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 2 से 11 तक)
- प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन नं. FP/CG/OFC/155722/2022
- बिन्दु क्रमांक - 3 वन क्षेत्र विवरण। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-12 से 17 तक)



DIGITAL
LIFE



- इस प्रस्ताव अंतर्गत 3.857 हेक्टेयर वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण संलग्न है।
- बिन्दु क्रमांक – 4 गैर वन क्षेत्र विवरण। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-18 से 19 तक)
 - प्रस्ताव अंतर्गत गैर वनक्षेत्र का ग्रामवार विवरण संलग्न है।
- बिन्दु क्रमांक – 5 प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 20)
 - सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट 1:50000 स्केल पर प्रस्तावित वन क्षेत्र को चिन्हांकित कर प्रस्तुत है। प्रस्तावित वनभूमि का DGPS Survey Report भी (पेज क्रमांक ~~332~~ संलग्न है।
- बिन्दु क्रमांक – 6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक ~~22~~ 35)
 - प्रस्तावित वनक्षेत्र का वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, रायपुर से प्राप्त कर वनस्पति मानचित्र 1:50000 स्केल पर इन्डेक्स मैप प्रस्ताव में समायोजित किया जावेगा।
- बिन्दु क्रमांक – 7 प्रपत्र-IV में प्रस्ताव। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक ~~36~~ से 44 तक)
 - प्रस्ताव प्रपत्र-IV में तैयार कर प्रस्तुत है।
- बिन्दु क्रमांक – 8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक ~~45~~)
 - जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस संबंध में विस्तृत टीप संलग्न है।
- बिन्दु क्रमांक – 9 न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक ~~46~~)
 - इस प्रस्ताव अंतर्गत 3.857 हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तित किया जाना है। इस प्रकरण में मांग की गई वनभूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस संबंध में प्रमाण- पत्र संलग्न है।
- बिन्दु क्रमांक – 10 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/ जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक ~~47~~)
 - इस प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः अधिनियम उल्लंघन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।
- बिन्दु क्रमांक – 11 वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV) (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक ~~48~~ से 64 तक)
 - इस प्रस्ताव अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र- I से IV संलग्न कर प्रस्तुत है।
- बिन्दु क्रमांक – 12 ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-~~65~~)
 - आवेदित वनभूमि के आस-पास कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- बिन्दु क्रमांक – 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक ~~66~~ से 115 तक)



DIGITAL
LIFE



- इस प्रस्ताव अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक — 14 जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में)। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-~~116~~)

- जानकारी वनमंडल स्तर पर भरा जाना है।

बिन्दु क्रमांक — 15 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-~~117~~)

- जानकारी वनमंडल स्तर पर भरा जाना है।

बिन्दु क्रमांक — 16 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-~~118~~)

- जानकारी वनमंडल स्तर पर भरा जाना है।

बिन्दु क्रमांक — 17 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-~~119~~)

- प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक — 18 वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009) ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक~~120~~से~~124~~तक)

- इस प्रस्ताव अंतर्गत वन अधिकार मान्यता प्रमाण-पत्र की मांग कलेक्टर, सुकमा से की गई है। जिसकी पावती अभिस्वीकृति संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक — 19 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-~~125~~से~~129~~)

- इस प्रस्ताव अंतर्गत राजस्व वनभूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग कलेक्टर, सुकमा से की गई है। जिसकी पावती अभिस्वीकृति संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक — 20 पंजीयन क्रमांक —पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण।

(प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-~~130~~)

- इस प्रस्ताव हेतु हमारे द्वारा विधिवत पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।



DIGITAL
LIFE



बिन्दु क्रमांक - 21 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-131)

- इस प्रस्ताव के अंतर्गत वन्यप्राणी परियोजना का निर्माण नहीं किया जाना है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक-22- DOPS Survey Report (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक-132 से 130 तक)

“मेसर्स जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड” द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.020 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य को संपादित करने हेतु आवश्यक लागत रुपये 630 लाख है।

मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से लगभग 59 ग्रामों एवं उससे लगे अन्य ग्रामों में शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा।

संलग्न :- प्रस्ताव (5 प्रति में)

डिमांड ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
सुकमा वनमंडल सुकमा



(अमर कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)